सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 कार्तिक, 1947 (श०)

संख्या - 513 राँची, मंगलवार, 18 नवम्बर, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

संकल्प

29 अक्टूबर, 2025

संख्या-5/आरोप- 1-29/2014 का.- 6287--

श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक- 528/03), तत्कालीन नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम, धनबाद के विरूद्ध उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-1629/गो०, दिनांक-01.07.2013 के द्वारा गठित आरोप पत्र में निम्न आरोप प्रतिवेदित किया गयाः-

आरोप संख्या-01:- अपर समाहर्त्ता, विधि व्यवस्था, धनबाद के पत्र संख्या-260/वि०व्य० दिनांक 25.03.2013 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री बिनोद कुमार मल्लिक, निलंबित प्रभारी कर दारोगा, धनबाद नगर निगम तथा अन्य पदाधिकारियों द्वारा श्री गोरखनाथ चौधरी, सफाई निरीक्षक, धनबाद के जाली प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत रहने की शिकायत की गयी थी। जाँच प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट होता है कि श्री गोरखनाथ चौधरी द्वारा स्वीकार किया गया कि उनकी नियुक्ति नगरपालिका कार्यालय के पत्र संख्या-875 दिनांक 02.07.1976 के द्वारा नन मैट्रिक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हुई थी। उनके

द्वारा यह भी बताया गया कि नगरपालिका कार्यालय में शैक्षणिक प्रमाण पत्र समर्पित किया गया था जिसकी जांच डी०ए०भी० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धनबाद से कराया जा चुका है। जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा श्री गोरखनाथ चौधरी, सफाई निरीक्षक की नियुक्ति एवं वित्तीय अनियमितता की जांच हेतु विशेष अंकेक्षण दल प्रतिनियुक्त करने हेतु नगर विकास विभाग से अनुरोध किया गया था। इससे विदित होता है कि आरोपित पदाधिकारी वस्तुस्थिति से अवगत थे। इस तरह के मामले में अंकेक्षण दल से जांच कराने की आवश्यता नहीं है। श्री गोरखनाथ चौधरी के बगैर प्रवैशिकोत्तीर्ण एवं अन्य अहर्ताएं पूरी किये सफाई निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। ऐसी स्थिति में नियुक्ति पदाधिकारी होने के नाते आरोपित पदाधिकारी का तुरंत प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिये था परंतु अंकेक्षण दल की प्रतिनियुक्ति हेतु नगर विकास विभाग से अनुरोध कर जिम्मेवारी से बचने का प्रयास किया गया। इससे विदित होता है कि उनके द्वारा दायित्व निर्वहन में जान-बूझकर लापरवाही बरती गयी है।

<u>आरोप संख्या-02:-</u> अपर समाहर्त्ता, विधि व्यवस्था, धनबाद ने अपने ज्ञापांक-260/वि०व्य० दिनांक 25.03.2013 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन से विदित होता है कि श्री विनोद कुमार मल्लिक, तत्कालीन प्रभारी कर दारोगा, धनबाद नगर निगम तथा श्री सुशील कुमार सिंह, मनईटांड, धनबाद द्वारा आरोपित पदाधिकारी को श्री विंध्याचल यादव, कर तहसीलदार-सह-प्रभारी कर दारोगा के जाली शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत रहने की शिकायत की गयी। उक्त शिकायत पर किसी प्रकार के कार्रवाई नहीं करने के लिये परिवादी द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची से आरोपित पदाधिकारी द्वारा बरती गयी लापरवाही के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। जांच प्रतिवेदन से यह भी विदित होता है कि श्री विंध्याचल यादव की नियुक्ति इण्टरमीडिएट शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हुई है। अपर समाहर्त्ता, विधि व्यवस्था, धनबाद ने अपने पत्र सं0-791/वि०व्य० दिनांक 13.12.2012 तथा 792 दिनांक 13.12.2012 द्वारा क्रमशः सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश एवं प्राचार्य, इण्टरमीडिएट कॉलेज, गगहा, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) को श्री विंध्याचल यादव, पिता-भगेरू यादव का हाई स्कूल पूरक परीक्षा, 1976 एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा- 1978 का निर्गत प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु निबंधित डाक से भेजा गया परंतु जांच प्रतिवेदन समर्पित करने के समय यथा दिनांक 25.03.2013 तक वांछित सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त रहा। जांच पदाधिकारी के समक्ष नगर निगम प्रबंधन की ओर से श्री यादव के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु प्रभावकारी कार्रवाई करने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि आरोपकर्ता द्वारा श्री यादव के शैक्षणिक योग्यता के अवैध होने के संबंध में शपथ पत्र समर्पित किया गया है। श्री यादव के शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र संदेह के अधीन है, परंतु वर्षो से उठ रहे इस विवाद के निराकरण में आरोपित पदाधिकारी द्वारा अभिरूचि नहीं ली जा रही है, मात्र नगर विकास विभाग को अंकेक्षण कराने हेतु अनुरोध कर जिम्मेवारी से बचने का प्रयास किया गया है। इस मामले में विशेष दूत प्रतिनियुक्त कर श्री यादव के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र का सत्यापन कराकर प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए थी। जांच प्रतिवेदन में श्री विंध्याचल यादव के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप की पुष्टि होने का उल्लेख है। जांच प्रतिवेदन से यह भी विदित होता है कि श्री यादव अपने सेवाकाल में अधिकांश समय तक वार्ड सं0-17, 18 एवं 19 के ही प्रभार में रहे हैं। इन तथ्यों के प्रकाश में आने के बावजूद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से विदित होता है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा श्री यादव को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है जो उनके कर्तव्यहीनता को प्रमाणित करता है।

2. उपायुक्त, धनबाद के द्वारा गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक-6523, दिनांक- 19.07.2013 के द्वारा श्री पाण्डेय से स्पष्टीकरण की मांग की गयी एवं स्मारित किया गया।

उक्त के क्रम में श्री पाण्डेय के पत्र, दिनांक- 17.08.2013 के द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसपर विभागीय पत्रांक- 9969, दिनांक-15.10.2013 के द्वारा उपायुक्त, धनबाद से मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

उपायुक्त, धनबाद के द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य में श्री पाण्डेय के स्पष्टीकरण को अस्वीकार किया गया।

3. उपायुक्त, धनबाद के द्वारा गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोप, श्री पाण्डेय के स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, धनबाद के द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य के समीक्षोपरांत प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प संख्या- 4193, दिनांक- 24.07.2023 के द्वारा श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक- 528/03), तत्कालीन नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम, धनबाद के विरूद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

4. विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक- 93, दिनांक- 20.10.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन इस विभाग में समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री पाण्डेय के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोप प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया।

5. श्री पाण्डेय के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों, उनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित तथ्य निम्न कारणों से स्वीकार योग्य नहीं पाया गयाः-

(i) आरोपी पदाधिकारी द्वारा गोरखनाथ चौधरी, तत्कालीन सफाई निरीक्षक, धनबाद नगर निगम के विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित प्रधानाध्यापक से कराने पर सही एवं वैध पाये जाने का उल्लेख अपने स्पष्टीकरण में किया गया है। इस प्रकार श्री गोरखनाथ चौधरी के ननमैट्रिक शौक्षिणक योग्यता प्रमाणित होने के बावजूद नियुक्ति पदाधिकारी की हैसियत से उन्हें हटाने हेतु आपके द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई नहीं करने तथा अनावश्यक रूप से इसका अंकेक्षण कराने हेतु नगर विकास विभाग से कराने का आरोप स्वतः प्रमाणित होता है। आपके द्वारा आरोप को अप्रमाणित करने हेतु कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिया गया है।

(ii) श्री विद्यांचल यादव, कर तहसीलदार के शैक्षणिक प्रमाण पत्र जाली रहने से संबंधित तथ्य पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा क्रमशः सचिव, माध्यमिक परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश एवं प्रधानाचार्य, रघुनाथ सिंह इंटर कॉलेज, उत्तर प्रदेश दोनों संस्थान से सत्यापन का अनुरोध किया गया, परन्तु मात्र संबंधित कॉलेज के प्रतिवेदन पत्रांक-01/2013-14, दिनांक 28.06.2013 द्वारा प्रमाण पत्र के सत्यता से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। आपके द्वारा यह कार्रवाई भी अपर समाहर्त्ता, विधि-व्यवस्था, धनबाद द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किये जाने की तिथि दिनांक 25.03.2013 के पश्चात् की गई है। साथ ही साथ इस गंभीर मामले की जाँच विशेषदूत भेजकर उत्तर प्रदेश इंटर मिडियट कांसिल से नहीं कराया गया। मात्र प्रधानाचार्य के प्रतिवेदन के आधार पर श्री यादव के प्रमाण पत्र को सत्य मान लिया गया।

6. उपर्युक्त अंकित कारणों के आधार पर विभागीय जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असमहत होते हुए श्री पाण्डेय के विरूद्ध पेंशन नियमवली के नियम-43(ख) के तहत उनके पेंशन से 5%(पाँच प्रतिशत) राशि की कटौती एक वर्ष तक करने का दण्ड प्रस्तावित करते हुए उक्त प्रस्तावित दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर श्री पाण्डेय से द्वितीय कारण पृच्छा करने के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

तदोपरांत विभागीय पत्रांक- 1333, दिनांक- 22.02.2024 के द्वारा श्री पाण्डेय के विरूद्ध पेंशन नियमवली के नियम-43(ख) के तहत उनके पेंशन से 5%(पाँच प्रतिशत) राशि की कटौती एक वर्ष तक करने का दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर श्री पाण्डेय से कारण पृच्छा की मांग की गयी।

7. श्री पाण्डेय के पत्र दिनांक- 27.03.2024 के द्वारा कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया गया। श्री पाण्डेय के द्वारा कारण पृच्छा में मुख्यतः निम्न तथ्य समर्पित किया गयाः-

"कार्मिक विभाग के पत्रांक-1333, दिनांक 22.02.2024 द्वारा कारण पृच्छा पूछा गया है। उक्त पत्र के कंडिका 4 (i) एवं (ii) पर क्रमशः उल्लेखित है कि मेरे द्वारा गोरखनाथ चौधरी, तत्कालीन सफाई निरीक्षक, धनबाद नगर निगम एवं श्री विद्यांचल यादव, तत्कालीन कर तहसीलदार के प्रमाण पत्रों की संदेहात्मकता की जाँच नियमानुसार नहीं करायी गयी। नन-मैट्रिक होने के बावजूद श्री चौधरी को पद से हटाने की कार्रवाई मेरे द्वारा नहीं की गयी और नगर विकास विभाग को अंकेक्षण का अनुरोध किया गया, जो आरोपों को स्वतः प्रमाणित करता है। साथ ही श्री यादव की शौक्षणिक योग्यता की जाँच विशेषदूत भेजकर नहीं करायी गई।

उपरोक्त दोनों आरोपों की जाँच यथानियम मेरे द्वारा करायी गयी थी। मैंने अपने तथ्यात्मक एवं बिन्दुवार स्पष्टीकरण में साक्ष्य सहित इसका उल्लेख किया है, जो पूर्व में भी विभाग को भेजा जा चुका है।

पुनः संचालन पदाधिकारी को भी तत्संबंधी बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया था। संचालन पदाधिकारी ने भी अपनी कार्यवाही में कथित आरोपों को सही नहीं पाया है।

श्री चौधरी एवं श्री यादव की पदानुरूप योग्यता एवं अर्हता की जाँच एवं सत्यापन का मूल दायित्व पद पर योगदान स्वीकार करने से पूर्व नियोजन करने वाले प्राधिकारी/पदाधिकारी का था। मैं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, धनबाद नगर निगम एवं नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम के प्रभार में दिनांक 24.02.2012 से 04.11.2012 तक तथा पुनः दिनांक 16.01.2013 से 23.07.2013 तक ही था। इन दोनों कर्मियों की नियुक्ति मेरे प्रभार ग्रहण से लगभग 28-30 वर्ष पूर्व ही तत्कालीन पदाधिकारियों/नगर पालिका बोर्ड द्वारा की गई थी। अब ये दोनों कर्मी संभवतः सेवानिवृत हो चुके हैं तथा सेवानिवृति का लाभ भी उन्हें मिला है। इस दरम्यान अनेकों पदाधिकारी/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम ने उनके विरूद्ध किसी तरह की कोई कार्रवाई का कष्ट नहीं किया और तो और उन्हें वेतन भुगतान किया तथा सेवानिवृति का लाभ भी दिया।

स्वयं इन आरोपों के जाँच पदाधिकारी श्री वी०पी०एल० दास, तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, विधि व्यवस्था, धनबाद (अब सेवानिवृत) भी नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम के प्रभार में दिनांक 06.11.2012 से 05.01.2013 तथा दिनांक 24.07.2013 से 13.11.2013 तथा पुनः दिनांक 20. 03.2014 से 14.07.2014 तक रहे हैं। फिर यह आरोप संपूर्ण निगम (जिसमें मेयर से लेकर लेखापाल तक आते हैं) तथा उन्हें वेतन भुगतान करने वाले अन्य पदाधिकारी के विरूद्ध न होकर सिर्फ मेरे विरूद्ध क्यों?

मेरे द्वारा अंकेक्षण कराने का अनुरोध जिम्मेदारी से भागने का प्रयास न होकर सभी कर्मियों के सेवा सत्यापन से संबंधित था ताकि इसकी समुचित जाँच की जा सके। परन्तु यह विभाग की नजर में क्यों अनावश्यक हो गया समझ में नहीं आता है क्योंकि नगर विकास विभाग, झारखण्ड ने अधिसूचना पत्रांक-3861, दिनांक 17.07.2013 द्वारा एक कमिटी गठित कर धनबाद माडा के कर्मियों की वैधानिकता की जाँच करायी थी। धनबाद नगर निगम के तत्कालीन नगर आयुक्त के ज्ञापांक-24/गो०, दिनांक 24.05.2016 एवं पत्रांक-996, दिनांक 31.08.2016 द्वारा भी ऐसा ही अनुरोध किया गया था एवं तदनुसार कमिटी ने अपने पत्रांक-3526/ध०न०नि०, दिनांक 09.09.2016 द्वारा अपना प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराया था। क्या उनका यह पत्राचार जिम्मेदारी से पलायन के आरोपों को सिद्ध नहीं करता?

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मेरे विरूद्ध कथित आरोप सत्य नहीं है। एक सरकारी पदाधिकारी के रूप में मैंने यथानियम अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। संचालन पदाधिकारी ने भी आरोपों को सत्य नहीं पाया है। तथापि पेंशन से 5 प्रतिशत की कटौती एक वर्ष तक करने के दंड दुर्भावनापूर्ण ज्यादती प्रतीत होती है।

श्री पाण्डेय के द्वारा उपरोक्त अंकित तथ्यों के आलोक में दोषमुक्त करने का अनुरोध किया गया।

8. श्री पाण्डेय के द्वारा समर्पित कारण पृच्छा की समीक्षा से स्पष्ट है कि उनके कार्यकाल में मामला संज्ञान में आने के पश्चात् श्री गोरखनाथ चौधरी के ननमैट्रीक शैक्षणिक योग्यता प्रमाणित होने के बावजूद नियुक्ति पदाधिकारी की हैसियत से उन्हें हटाने हेतु उनके द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई नहीं की गयी और न ही की गयी कार्रवाई के संबंध में कारण पृच्छा में उल्लेख किया गया है।

इसी तरह श्री विद्यांचल यादव, कर तहसीलदार के शैक्षणिक प्रमाण पत्र जाली रहने से संबंधित तथ्य पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा मात्र खानापूत्ति की गयी एवं इस गंभीर मामले की जाँच विशेषदूत भेजकर उत्तर प्रदेश इंटर मिडियट कांसिल से नहीं कराया गया। मात्र प्रधानाचार्य के प्रतिवेदन के आधार पर श्री यादव के प्रमाण पत्र को सत्य मान लिया गया।

9. समीक्षोपरान्त, श्री पाण्डेय के द्वारा समर्पित कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक- 528/03), तत्कालीन नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम, धनबाद के विरुद्ध पेंशन नियमवली के नियम-43(ख) के तहत उनके पेंशन से 5%(पाँच प्रतिशत) राशि की कटौती एक वर्ष तक करने का दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

तदोपरांत विभागीय पत्रांक- 4106, दिनांक- 21.06.2024 के द्वारा श्री पाण्डेय के विरूद्ध उपर्युक्त अनुमोदित दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर सहमति संसूचित करने का अनुरोध झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से किया गया।

10. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक- 2632, दिनांक- 26.09.2025 के द्वारा श्री पाण्डेय के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत उनके पेंशन से 5(पाँच) प्रतिशत राशि की कटौती 01(एक) वर्ष तक करने का दण्ड अधिरोपित करने का सहमति का परामर्श दिया गया है।

11. अतः श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक- 528/03), तत्कालीन नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम, धनबाद के विरूद्ध पेंशन नियमवली के नियम-43(ख) के तहत उनके पेंशन से 5%(पाँच प्रतिशत) राशि की कटौती एक वर्ष तक करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक 528/03) एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 513 - 50